राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 483/2011/जयपुर

मैसर्स वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत-डी,जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स लावट ज्वैलर्स प्रा.लि.
मेंहदी का चौक, रामगंज बाजार, जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री नत्थूराम,सदस्य

दिनांक 19.09.2017

संशोधन

उपर्युक्त अपील का निस्तारण दिनांक 24.08.2017 को किया गया था। प्रकरण में लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आने पर स्वप्रेरणा (suo-motu) संशोधन हेतु पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी के प्रशमन राशि रू. 39,75,000/-के रिफण्ड प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया था, जिसके विरूद्ध व्यवहारी की अपील में अपीलीय अधिकारी ने निर्णय दिनांक 27.01.2010 द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत हुई थी। अपील का निर्णय दिनांक 24.08.2017 को पारित किया गया था, जिसके पैरा 8 में अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधि सम्मत् नहीं माना गया है तथा पैरा संख्या 9 से 18 में की गई विवेचना के अनुसार व्यवसायी को रिफण्ड देय नहीं होना अवधारित किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों में विवेचना एवं विश्लेषण के अनुसार विभाग की अपील स्वीकार होना टंकित किया जाना चाहिए था, किन्तु टंकण की त्रुटि से निर्णय के पेज संख्या 10 के पैरा संख्या 19 में "उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है" टंकित हो गया है। इस प्रकार यह त्रुटि रिकार्ड से प्रत्यक्ष दृष्टया त्रुटि है तथा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित अधिनियम 2003 की धारा 33 के अन्तर्गत स्वप्रेरणा (suo-motu) से संशोधन योग्य है।

अतः **"उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है"** के स्थान पर **"उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है," पढा जावे।**

इस शुद्धि पत्र की प्रति अपील संख्या 483/2011/जयपुर मूल निर्णय दिनांक 24.08.2017 के साथ संलग्न की जावे एवं मूल निर्णय में लाल स्याही से अंकन हो। सभी सम्बन्धित पक्षकारों को इसकी प्रति भिजवायी जाये।

शुद्धिकरण आदेश जारी किया जाता है।

(नत्थूराम)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष